वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ", अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 01.02.2025

निर्माणाधीन पेट्रोल पंप किया सील 8 बीघे की प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप सील किया गया। इसके साथ ही 8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार रामनगर के रसूलागंज अदलहाट के अनुपम सिंह, शैलेंद्र सिंह की ओर से बगैर नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। भीटी, शंकर नगर कॉलोनी के बाबू लाल सिंह की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। खजूरगांव के डिंपू सिंह की ओर से 8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे पुलिस बल से के सहयोग से ध्वस्त किया गया। दुर्गाकुंड में अभय सिंह की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे सील किया गया। ब्यूरो

चार अवैध निर्माण सील

वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की देखरेख में शुक्रवार को अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। शिवपुर वार्ड में बीना त्रिपाठी की ओर से शीतल नगर कॉलोनी में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील किया गया। सारनाथ, हृदयपुर, सिंहपुर में अरुण कुमार वर्मा को पूर्व में नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी काम कराने पर अवैध निर्माण सील कर दिया गया। मां वैष्णों कुटुम्ब विहार कॉलोनी, हृदयपुर, सिंहपुर में नीरज राय और राम बहादुर राय की ओर से बगैर नक्शा पास कराने निर्माण करने पर सील किया गया।

अमर उजाला–दि0 01.02.2025

सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी विदाई

वाराणसी। वीडीए सभागार में शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी इंद्रमणि पांडेय को विदाई दी गई। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने कर्मचारी के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर वीडीए के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव परमानन्द यादव, अध्यक्ष प्रमोद तिवारी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 01.02.2025

पूरे शहर में वीडीए ने अवैध निर्माण को किए सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शहर में बिना मानचित्र के बन रहे मकानों के खिलाफ विकास प्राधिकरण की टीम ने धुआंधार कार्रवाई की। टीम ने पांच निर्माण को सील किया। साथ ही आठ बीघा की प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के आदेश पर जोन-2, वार्ड-सारनाथ में हृदयपुर, सिंहपुर में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। वहां अरुण कुमार वर्मा 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी 1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग करा रहे थे। पूर्व में नोटिस के वावजूद निर्माण हो रहा था। मां वैष्णो कुटुंब विहार कालोनी, हृदयपुर में नीरज राय और राम वहादुर राय भूतल पर कालम का निर्माण सील किया गया। वार्ड-शिवपुर में शीतल नगर कालोनी में बीना त्रिपाठी के मकान को सील किया गया। वार्ड-रामनगर, मौजा रसूलागंज, में अनुपम सिंह व शैलेंद्र सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पंप का अवैध निर्माण कराया जा रहा था। नोटिस के बाद भी नहीं मानने पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। भीटी में शंकर नगर कालोनी में बाबू लाल सिंह के निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। भेलूपुर में अभय सिंह के अनाधिकृत निर्माण पर सील की कार्रवाई की गई। खजूरगांव में डिम्पू सिंह द्वारा लगभग आठ बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 01.02.2025

अवैध प्लाटिंग को वीडीए ने ढहाया

- टीम ने एनएच 44 पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को भी कर दिया सील
- अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से मचा हड़कम्प

पीडीडीयू नगर, वरिष्ठ संवाददाता। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के खजूरगाव के सिवान में आठ बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज करा दिया। वहीं कालोनाइजरों के कार्यालयों को जेसीबी से ढहा दिया गया। जबकि रसूलागंज में वीडीए टीम ने निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वीडीए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक कुमार यादव टीम के साथ मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के खजूरगांव के सिवान में डिंपू सिंह की विकसित हो रही अवैध कालोनी में पहुंचे। यहां बने प्लॉटों की बाउंड्री वाल को भी जमींदोज किया गया। उक्त के बाबत बीते चार अक्टूबर को नोटिस दी गई थी। इसकी सुनवाई 14 अक्तूबर को हुई थी। लेकिन सुनवाई पर प्लाटर मौजूद नहीं हुआ था। उसके बाद टीम मिल्कीपुर से सटे मिर्जापुर जिले के रसूलागंज पहुंची। जहां अनुपम सिंह और शैलेंद्र सिंह के एनएच 44 पर बन रहे पेट्रोल पंप को सील कर दिया। जबकि भीटी में बाबूलाल के निर्माणाधीन दो मंजिला मकान को भी सील किया गया। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि उक्त कालोनियां बिना नक्शा और लेआउट पास कराए बनी थीं।

हिन्दुस्तान–दि0 01.02.2025

पेट्रोल पंप समेत 5 अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। दुर्गाकुंड में बिना नक्शा पास कराए बन रहा भवन सील किया। रामनगर के रसूलागंज में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पंप निर्माण पर सीलिंग की गई। यहीं भीटी की शंकरनगर एवं शिवपुर में शीतलनगर कॉलोनी में दो मंजिला भवन सील किया गया। सारनाथ में हृदयपुर और सिंहपुर में दो अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मां वैष्णो कुटुम्ब विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन सील किया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 01.02.2025

वीडीए ने कई अवैध निर्माणों को किया सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जोन-चार के अंतर्गत सील की कार्यवाही की गई। सील के दौरान, जोन-चार के अन्तर्गत अभय सिंह द्वारा दुर्गाकुंड वार्ड भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा रात्रि में चोरी छिपे किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जोन-चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के फील्ड स्टाफ आदि को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत गतिमान निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जांच कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

वहीं दूसरी तरफ वीडीए जोन दो की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत हृदयपुर, सिंहपुर में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। वार्ड-सारनाथ, हृदयपुर, सिंहपुर के अन्तर्गत अरूण कुमार वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी+1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था जिस पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखने पर स्थल को सील किया गया। जोन एक में वार्ड-शिवपुर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की गयी। शिवपुर के अन्तर्गत बीना त्रिपाठी द्वारा शीतल नगर कॉलोनी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+1 का अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे सील कियां गया। जोन-पांच वार्ड-रामनगर के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। रामनगर वार्ड के मौजा रसूलागंज, थाना-अदलहाट के अन्तर्गत अनुपम सिंह व शैलेन्द्र सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पम्प का अवैध निर्माण किया जा रहा था जिस पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने के लिए पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। लेकिन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। जिस पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। वहीं वार्ड-रामनगर, मौजा-भीटी, शंकर नगर कालोनी के अन्तर्गत बाबू लाल सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा जिसपर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने के लिए पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इसके बाद भी मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया, जिस पर अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए जोन पांच की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। वार्ड-रामनगर, मौजा-खजूरगांव के अन्तर्गत डिम्पू सिंह द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग आठ बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

न्यायाधीश–दि0 01.02.2025

वीडीए जोन -1 की टीम ने की दो अवैध निर्माणों की सीलबन्दी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे अपर सचिव की उपस्थिति मे वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1, वार्ड-शिवपुर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- शिवपुर के अन्तर्गत बीना त्रिपाठी द्वारा शीतल नगर कॉलोनी मे बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बीःजीः1 का अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा थ जिसे आज दिनांक 31/01/202 30प्र0 नगर नियोजन एवं विका अधिनियम-1973 की सुसंगत धा के अंतर्गत सील किया गया। मौं पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र अवर अभियंता विजय सिंह उपस्थि रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मान से अपील की गयी है कि वाराण विकास प्राधिकरण से मानचि स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रका का निर्माण कार्य न करें अन्यथ की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 01.02.2025

वाविप्रा ने की 02 अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन.2 वाड. सीरनाथ के अंतर्गत हृदयपुर सिंहपुर में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। 'इस के तहत वाड. सीरनाथ हृदयपुर सिहपुर' के अन्तर्गत 'अरूण कुमार वर्मा' द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 'लगभग 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल मे जी.1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य' किया जा रहा था जिसपर पूर्व मे नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखने पर स्थल को 31 जनवरी को सील किया गया। वाड. सीरनाथ माँ वैष्णो कुटुम्ब विहार कालोनी हृदयपुर सिंहपुर' के अन्तर्गत 'नीरज राय और राम बहादुर राय' द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग '850 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर कालम का निर्माण कार्य' किया जा रहा थाए जिसे आज दिनांक 31॰01॰2025 को सील किया गया। 'मौके पर उपसचिव देवचंद राम जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। ':उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले.आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 01.02.2025

जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत हृदयपुर, सिंहपुर में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ, हृदयपुर, सिंहपुर के अन्तर्गत अरूण कुमार वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी+1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था जिसपर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखने पर स्थल को आज दिनांक 31/01/2025 को सील किया गया।वार्ड-सारनाथ, माँ वैष्णों कुटुम्ब विहार कालोनी, हृदयपुर, सिंहपुर के अन्तर्गत नीरज राय और राम बहादुर राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 850 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर कालम का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे शुक्रवार को सील किया गया।मौके पर उपसचिव देवचंद राम, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।